# प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में अवधि 2017-22 को आच्छादित करते हुए "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं जो अवधि 2017-22 की नमूना-लेखा परीक्षा में प्रकाश में आए थे। यथा आवश्यक अवधि 2021-22 के बाद के प्रकरणों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।